नियम–324 के अन्तर्गत श्री रोहित ठाकुर, माननीय विधायक (जुब्बल–कोटखाई) द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा के लिए टिप्पणी।

माननीय सदस्य द्वारा निम्न मुद्दा उठाया गया है:–

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जुब्बल–कोटखाई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उप तहसील कलबोग जो अभी पंचायत घर कलबोग से चल रही है, उसके कार्यालय व आवास के लिए भवन निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इन भवनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित भी की गई है।

अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उप तहसील कलबोग के कार्यालय व आवास भवन के लिए बजट प्रावधान तथा निर्माण बारे सरकार क्या विचार रखती है।

अध्यक्ष महोदय मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:–

1. उप–तहसील कलबोग के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है जिसका खसरा न0 170/1, खाता खतौनी नम्बर 121/159 मिन, मौहाल गौहाच, कुल रक्बा तादादी 00–20–39 हैक्टेयर है।

2. उप–तहसील कलबोग के कार्यालय भवन निर्माण का नक्शा लोक निर्माण विभाग से तैयार करवा लिया गया है तथा उक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु मु0 1,65,84,766/– रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा निदेशक भू–अभिलेख, हिमाचल प्रदेश, शिमला के माध्यम से उपायुक्त शिमला को दिनांक 31–01–2022 प्रदान कर दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त भवन के निर्माण हेतु बजट आबंटित कर दिया जाएगा एवं तदानुसार निर्माण कार्य भी आरम्भ कर दिया जाएगा।

3. इसके अतिरिक्त जहां तक आवासीय भवन कलबोग के निर्माण का प्रश्न है यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन नहीं है।